

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- दिनेश कुमार भीणा आर.ए.एस.

(2)

प्रकरण सं० 28/2025

दायर दिनांक: 05.03.2025

उपखण्ड

बालाराम पि. नन्दा जाति बागरी नि. धरोनिया तहसील पिडावा

- वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील पिडावा जिला झालावाड

- प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

- आदेश :-

दिनांक : 05.05.2025

वादी बालाराम पि. नन्दा जाति बागरी नि. धरोनिया तहसील पिडावा के खाता दुरुस्ती वाद पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों/रेकार्ड, बालाराम का आधारकार्ड (751243137305), भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र (KYD1271543), आयकर विभाग का पेनकार्ड (ILKPB0094L), पुत्र कन्हैयालाल का भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र (TAH1679646), पुत्र कन्हैयालाल का आधारकार्ड (217602783905) एवं तहसीलदार पिडावा की स्वीकारात्मक बहस दिनांक 30.04.2025 के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम धरोनिया तहसील पिडावा की जमाबन्दी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 173 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (वादी का नाम) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र स	ग्राम/पटवार मण्डल/तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो रेकार्ड में दर्ज की जानी)
1	ग्राम धरोनिया पटवार मण्डल धरोनिया तहसील पिडावा	173	बाला पि. नन्दा	बालाराम पि. नन्दा

उपखण्ड अधिकारी पिडावा

जिला झालावाड राज.

दिनांक 05.05.2025

क्रमांक:- राजस्व/2025/

प्रतिलिपी - तहसीलदार पिडावा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।



उपखण्ड अधिकारी पिडावा

जिला झालावाड राज.

पिडावा, जिला झालावाड (राज.)

